प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 06.02.2026

थाना मुगलसराय, जनपद चन्दौली

🔷 थाना मुगलसराय पुलिस टीम द्वारा धोखाधड़ी से सम्बन्धित अभियोग में वांछित व 25000 रुपया के इनामियां अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

पूर्व की घटना-
वादी बालेश्वर दास वैषणव पुत्र श्री रामकरण दास जी वैष्णव उर्फ पीताम्बर दास निवासी म0नं0-B1/157 द्वारिकाधीश मन्दिर अस्सी शहर वाराणसी हला पता - वार्ड न- 8 मोहल्ला बुचाहेड़ा अवध बिहारी मन्दिर कोटपुतली की जयपुर राजस्थान द्वारा तहरीर दिया गया कि मौजा कटेसर थाना मुगलसराय स्थित आ०नं0 439 व 467 रकबा 21- 3/4 डि का बैनामा तीजा देवी पत्नी घनश्याम से दो लाख रूपये में दिनांक- 10.01.2008 को खरीदा था तथा समक्ष गवाहान घनश्याम पुत्र देवनरायन निवासी केदोपुर थाना रामनगर जनपद वाराणसी तथा सोहराव पुत्र मो0 हसन निवासी कटेसर थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली द्वारा रजिस्टर्ड बैनामा दिनांक- 01.01.2008 को हुआ था जिसमें गवाहान द्वारा फर्जी चौहद्दी दिखाकर बैनामा कर दिये। वादी द्वारा दिनांक 28.03.2024 को अपनी जमीन का बाउण्ड्री कराने के लिए गया तो घनश्याम ने कहा कि जिससे आप जमीन लिये थे उसकी मृत्यु हो गयी है। अब आप को जमीन नही मिलेगा। वादी ने कहा कि आपके द्वारा गवाही करने के बाद बैनामा हुआ है तब तक उनका लड़का जयसू व बसन्तू पुत्रगण घनश्याम द्वारा गाली-गुप्ता व जान से मारने की धमकी दे रहे है। वादी से प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 मु0अ0सं0231/2024धारा420/467/468/471/504/506 भादवि में अभियोग पंजीकृत किया गया। उक्त अभियोग में अभियुक्त 1.घनश्याम पुत्र देवनरायन निवासी कोदोपुर थाना रामनगर जनपद वाराणसी, 2. सोहराब पुत्र मो हसन निवासी कटेसर थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली गिरफ्तार होकर जिला कारागार वाराणसी में निरुद्ध है।

चन्दौली- पुलिस अधीक्षक चन्दौली आदित्य लांग्हे द्वारा अपराध एवं आपराधियों के विरुद्ध अंकुश लगाने हेतु वांछित अभियुक्तों के गिरफ्तारी हेतु दिये गये आदेश/निर्देश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक अनंत चन्द्रशेखर (आई.पी.एस.) व क्षेत्राधिकारी पीडीडीयू नगर अरुण कुमार सिंह के कुशल पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक मुगलसराय सन्तोष कुमार सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना मुगलसराय पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0231/2024धारा420/467/468/471/504/506 भादवि में वांछित व 25000/- रुपया का इनामिया अभियुक्त रामलोचन यादव पुत्र सीताराम यादव निवासी कटेसर थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली उम्र 66 वर्ष को मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर ग्राम कटेसर से किया गया गिरफ्तार। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।

पूछताछ विवरण-

पूछताछ के दौरान अभियुक्त द्वारा बताया कि वर्ष 2006 में मैंने गाटा संख्या 467 रकबा लगभग 0.018 हे० भूमि तीजा देवी पत्नी घनश्याम को विक्रय की थी परंतु मेरा अंश पारिवारिक शेयर के अनुसार 0.0013 हे. बनता था अतः मैने अपने अंश से अधिक बैनामा कर दिया था।

नाम पता अभियुक्त-

1.रामलोचन यादव पुत्र सीताराम यादव निवासी कटेसर थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली उम्र 66 वर्ष।

आपराधिक इतिहास-

मु0अ0सं0231/2024धारा420/467/468/471/504/506 भादवि थाना मुगलसराय

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1.उ0नि0 अभिषेक शुक्ला चौकी प्रभारी जलीलपुर थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली।
2.हे0का0 अतुल सिंह थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली।